राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.149 / मुसप्र / नवीन पंजी. यो. / 2011–12 / 2100 दिनांकः– 13-12-11

## कार्यालय आदेश

मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में निम्नानुसार नवीन पंजीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

| क्र. सं. | शहर | योजना | आय वर्ग | प्रस्तावित आवासों की संख्या | पंजीकरण योजना का नाम | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जयपुर | मानसरोवर सेक्टर – 9 | मध्यम आय वर्ग "अ" डुप्लैक्स | 60 | स्ववित्त पोषित योजना **(केवल जयपुर शहर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु)** | (जयपुर शहर के मानसरोवर योजना के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरियता, प्रताप नगर योजना के पूर्व पंजीकृत आवेदको को द्वितीय वरियता एवं इंदिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदको को तृतीय वरियता वर्षवार प्रदान की जावेगी।) |

उक्त योजना दिनांक 21.12.2011 से दिनांक 20.01.2012 तक के लिए है।
उक्त को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता / सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि, रा.आ.म. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय / पी.एण्ड.एम, रा.आ.म. जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उप आवासन आयुक्त, वृत्त–द्वितीय, जयपुर से उक्त योजना के क्रियान्वयन के क्रम में वांछित कार्यवाही की पालना सुनिश्चित करावें एवं मॉनिटरिंग की जावें।
4. वरिष्ठ निजी सहायक–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.मं., जयपुर
5. जन सम्पर्क अधिकारी, रा.आ.मं., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश से सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति अविलम्ब दिलवाने की कार्यवाही करावें।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त–द्वितीय,रा.आ.मं., जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ उक्त योजना में प्रस्तावित आवासों की अनुमानित लागत निर्धारित करवाकर समय रहते बुकलेट तैयार करे तथा बुकलेट की कम्पलीमेन्ट प्रति अध्यक्ष / आवासन आयुक्त महोदय एवं इस कार्यालय को योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 2 दिवस पूर्व ही उपलब्ध करावें।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–नवम् रा.आ.मं. मानसरोवर, जयपुर।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.मं., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व उप आवासन आयुक्त, वृत्त – द्वितीय, जयपुर को मेल करे।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक